कृषि उत्पादन आयुक्त/अध्यक्ष, राज्य औद्यानिक मिशन की अध्यक्षता में कार्य परिषद की तृतीय आयोजित बैठक दिनांक 27-03-2006 की कार्यवृत्ति :

एजेण्डा बिन्दु संख्या	एजेण्डा	प्रस्ताव	अनुमोदन
1	राज्य औद्यानिक मिशन की कार्य परिषद की दिनाँक 28-10-2005 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के अनुपालन पर अनुमोदन।	राज्य औद्यानिक मिशन की कार्य परिषद की बैठक दिनाँक 28-10-2005 में लिये गये निर्णयों का अनुपालन कर लिया गया है। अनुपालन आख्या कृपया अनुमोदित करना चाहें।	यथा प्रस्तावित कार्यपरिषद की दिनांक 28-10-2005 को आयोजित द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन किया गया।
2	राज्य औद्यानिक मिशन हेतु प्रथम एवं द्वितीय किश्त की जनपदवार निर्गत की गई स्वीकृतियों का अनुमोदन।	राज्य औद्यानिक मिशन की कार्य परिषद की बैठक दिनांक 28-10-2005 में जनपदों को आवंटन हेतु प्रस्तुत बजट पर कार्य परिषद द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त बजट को सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान करते हुए यह परामर्श दिया गया कि श्री पी0पी0 बैरिया, वित्तीय सलाहकार, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन से विचार विमर्श कर बजट प्रारूप निर्धारित कर बजट/धनराशि जिलाधिकारियों/अध्यक्ष, जिला औद्यानिक मिशन को भेज दी जाय तथा कार्य परिषद की आगामी बैठक में अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाय, तदनुसार उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निदेशालय के पत्र संख्या-3-72, दिनांक 18-11-2005 द्वारा जनपदों को धनराशि आवंटित कर दी गयी है। आवंटन की प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। कृपया अवलोकित होना चाहें।	राज्य औद्यानिक मिशन अर्न्तगत सम्बंधित 26 जनपदों को प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में मिशन निदेशालय के पत्र संख्या-3-72, दिनांक 18-11-2005 द्वारा निर्गत स्वीकृतियों का अवलोकन कर अनुमोदित किया गया।
3	भारत सरकार से तृतीय किश्त के रूप में प्राप्त धनराशि रू0-1800	भारत सरकार के पत्र संख्या-33-15/ 2005, दिनांक 24 नवम्बर 2005 द्वारा धनराशि रू0-1800.00 लाख तृतीय किश्त के रूप में प्राप्त हुई है जिसका कार्यक्रमवार फॉट भारत सरकार के पत्र संख्या-33-15/2006, दिनाँक 8-3-2006 द्वारा	भारत सरकार से तृतीय किस्त के रूप में प्राप्त धनराशि रू0-1800.00 लाख में से कार्यक्रम यथा-43 इन्ट्रीग्रेटेड पैक हाउस के निर्माण हेतु धनराशि रू0-26.88 लाख एवं 10 कार्यरत मण्डियों

	लाख का कार्यक्रमवार एवं जनपदवार विभाजन पर अनुमोदन।	उपलब्ध कराया गया है जिसमें 43 इन्ट्रीग्रेटेड पैक हाउस के निर्माण हेतु रू0–26.88 लाख अवमुक्त की गई है जबकि भारत सरकार की स्वीकृत कार्ययोजना वर्ष 2005–06 के अनुसार पैक हाउस हेतु रू0–2150 लाख स्वीकृत किया गया है तथा 10 कार्यरत मण्डियों हेतु फंक्सनल इन्फास्ट्रक्चर फार कलेक्शन एण्ड ग्रेडिंग आदि हेतु तृतीय किश्त में रू0–37.50 लाख अवमुक्त किया गया है जबकि स्वीकृत कार्ययोजना में रू0–25. 00 लाख स्वीकृत है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार से स्थिति स्पष्ट करा ली जायेगी। भारत सरकार से अवमुक्त तृतीय किश्त जनपदों को प्रेषण हेतु निर्धारित प्रारूप पर बजट आलेख प्रस्तुत है कृपया अनुमोदन करना चाहें।	हेतु फंक्सनल इन्फास्ट्रक्चर फार कलेक्शन एण्ड ग्रेडिंग आदि हेतु धनराशि रू0–37.50 लाख अवमुक्त की गई है जो स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2005–06 के अनुसार क्रमशः धनराशि रू0–2150 लाख एवं धनराशि 25 लाख होनी चाहिए थी। कार्य परिषद द्वारा निर्देश दिया गया कि इस पर भारत सरकार से शीघ्र स्थिति स्पष्ट करा ली जाये। साथ ही जो धनराशि भारत सरकार से जिन कार्यक्रमों हेतु जितनी अवमुक्त की गई है उसे जनपदों को अवमुक्त कर दिया जाय। अनुमोदित किया गया।
4	क– क्रेडिट लिंक्ड बैंक एण्डिड सब्सिडी आधारित कार्यक्रमों के प्रोजेक्ट परामर्शी संस्था से तैयार कराये जाने पर अनुमोदन। 4–ख–सार्वजनिक क्षेत्र में डिसीज फोर कास्टिंग इकाई, प्लान्ट हैल्थ क्लीनिक, लीफटिशू एनालिसिस लैब	मिशन के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यक्रम क्रेडिट लिंक्ड बैंक एण्डिड सब्सिडी आधारित कार्यक्रम हैं इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु इनकी कार्ययोजना तैयार किये जाने हेतु परामर्शी संस्था नामित किया जाना प्रस्तावित है– 1–निजी क्षेत्र में बड़ी माडल नर्सरी (4.0 है0) की स्थापना। 2–छोटी पौधशाला (1.0 है0) की स्थापना। 3–मैंथा हेतु छोटी/बड़ी आसवन इकाई की स्थापना। 4–हल्दी क्योरिंग सेन्टर। 5–संग्रहण, ग्रेडिंग आदि के लिए प्रायोगिक बुनियादी ढांचा की स्थापना। मिशन के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यकम राजकीय औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्रों पर क्रियान्वित किये जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यक्रमों के प्रोजेक्ट तैयार कराये जाने हेतु तकनीकी परामर्श प्राप्त किये जाने के लिए परामर्शी संस्था नामित किया जाना प्रस्तावित है– 1–डिसीज फोर कास्टिंग इकाई।	क्रेडिट लिंक्ड बैंक एण्डिड सब्सिडी आधारित कार्यक्रमों यथा–निजी क्षेत्र में बड़ी माडल पौधशाला, छोटी पौधशाला, मेंथा आसवन इकाई, हल्दी क्योरिंग सेन्टर तथा संग्रहण ग्रेडिंग आदि के लिए बुनियादी ढांचा की स्थापना तथा सार्वजनिक क्षेत्र में डिसीज फोर कास्टिंग इकाई, प्लान्ट हेल्थ क्लीनिक, लीफ टिशु एनालिसिस लैब एवं बायोकन्ट्रोल लैब की स्थापना हेतु प्रोजेक्ट परामर्शी संस्था से तैयार कराये जाने के सम्बंध में कार्यपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 3 अधिकारियों की एक उपसमिति बना दी जाये जिसमे महानिदेशक, उपकार, अध्यक्ष, निदेशक मिशन, सदस्य एवं एक अन्य वैज्ञानिक विभागीय हो। समिति इन कार्यो हेतु भारत सरकार की संस्थाओं (एन0बी0आर0आई0, सीमैप आदि) को चिन्हित कर तथा नाबार्ड से भी वार्ता कर प्रस्तुतीकरण करा कर उनमें से ही परामर्शी संस्था को अंतिम रूप दिया जायें, का अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ–साथ यह भी निर्णय लिया गया कि बाहर की संस्थायें उन्हीं कार्य के लिये लिया

	तथा बायोकन्ट्रोल लैब की स्थापना हेतु प्रोजेक्ट परामर्शी संस्था से तैयार कराये जाने पर अनुमोदन।	2–प्लांट हेल्थ क्लीनिक। 3–लीफ टिशु एनालिसिस लैब। 4–बायोकन्ट्रोल लैब। कृपया उक्तानुसार कार्यक्रमों के परामर्शी नियुक्त करने हेतु खुले बाजार में प्रचार–प्रसार के माध्यम से आई0सी0ए0आर0, नाबार्ड/सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी संस्थाओं से टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप के अनुमोदन के बाद परामर्शदायी संस्था नामित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करना चाहें।	जाये, जब सरकारी किसी भी संस्था के पास अपेक्षित कुशलता न हो।
5	अन्य क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डिड सब्सिडी आधारित कार्यक्रमों हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किये जाने पर विचार।	अन्य क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डिड सब्सिडी आधारित कार्यक्रमों यथा– नोएडा एवं दुबग्गा (लखनऊ) में प्रस्तावित दो माडल टर्मिनल मार्केट्स का निर्माण मण्डी परिषद से तथा 43 इन्टीग्रेटेड पैक हाउसेस, 54 ग्रामीण प्राथमिक बाजारों व 03 पुष्प बाजारों का निर्माण पंचायती राज विभाग एवं राज्य औद्यानिक विपणन सहकारी संघ से कराये जाने हेतु कार्यपरिषद द्वारा पूर्व में निर्णय लिया गया है, इस संदर्भ में भारत सरकार का पत्र दिनांक 16 जनवरी, 2006 अवलोकनीय है, जिसके द्वारा क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डिड सब्सिडी आधारित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन बैंक से ऋण लेकर कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। मण्डी परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुसार फल सब्जी एवं पुष्प मण्डी निर्माण हेतु कार्ययोजना प्रस्तावित की गई है जिसके अनुसार इन कार्यक्रमों हेतु परिषद द्वारा बैंक से ऋण न लेकर ऋण अंश की व्यवस्था स्वयं के श्रोतों से प्रस्तावित की गयी है साथ ही प्रस्ताव में प्रस्तावित कार्यक्रमों की कार्यक्रमवार लागत धनराशि मिशन की कार्य योजना में कार्यक्रमों हेतु स्वीकृत लागत धनराशि से कम प्रस्तावित की गयी है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में मण्डी परिषद से प्राप्त प्रस्तावों पर भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किये जाने पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।	अन्य क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डिड सब्सिडी आधारित कार्यक्रमों यथा माडल टर्मिनल मार्केटस का निर्माण मण्डी परिषद एवं 54 ग्रामीण प्राथमिक बाजारों व 3 पुष्प बाजारों का निर्माण हेतु मण्डी परिषद से प्राप्त प्रस्ताव पर मण्डी परिषद द्वारा भारत सरकार की बैंक के माध्यम से ऋण लेकर कार्य कराये जाने की बाध्यता पर कार्यपरिषद से यह अनुरोध किया गया। कार्यपरिषद से इस सम्बंध में अंतिम निर्णय निगम, जयपुर के तत्वाधान में आयोजित 2 दिन की कार्यशाला के आयोजन के बाद ही निर्णय लिया जा सकेगा। कार्यपरिषद द्वारा अप्रैल 2006 के प्रथम सप्ताह में इस सम्बंध में बैठक आयोजित कर मण्डी परिषद से प्राप्त प्रस्ताव की धनराशि में भिन्नता होने के विषय में विचार–विमर्श कर लिया जाय। औद्यानिक विपणन संघ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में विभिन्न श्रोतों से धनराशि प्राप्त कर कार्य कराया जाना प्रस्तावित किया गया है इस सम्बंध में कार्यपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार मण्डी परिषद से विचार विमर्श होने के उपरान्त एवं औद्यानिक विपणन संघ के प्रस्ताव पर भारत सरकार से सहमति प्राप्त कर ली जाये।

		इन्टीग्रेटेड पैक हाउसेस एवं ग्रामीण प्राथमिक बाजारों की स्थापना हेतु राज्य औद्यानिक विपणन सहकारी संघ द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है जिसके अनुसार संघ द्वारा ग्रामीण प्राथमिक बाजारों की स्थापना हेतु अनुदान के अतिरिक्त लागत धनराशि रू0–3.75 लाख की व्यवस्था उ0प्र0 कृषि विकास निधि/ग्राम्य विकास विभाग/यू0पी0 डास्प से, रू0–1.50 लाख की व्यवस्था भूस्वामित्व का अंश से तथा रू0–6.00 लाख की व्यवस्था बैंक ऋण के माध्यम से प्रस्तावित की गई है। इसी प्रकार पैक हाउस की लागत धनराशि रू0–200.00 लाख में अनुदान अंश रू0–50.00 लाख के अतिरिक्त रू0–20.00 लाख की व्यवस्था औद्यानिक समिति, स्वयं सहायता समूह, एन0जी0ओ0 अंश से तथा रू0–50.00 लाख की व्यवस्था कृषि निधि, ग्राम्य विकास, यू0पी0 डास्प से एवं 80.00 लाख की व्यवस्था बैंक ऋण से किया जाना प्रस्तावित की गई है। चूँकि संस्था के पास अपनी आय का श्रोत नहीं है एवं अधिकांश धनराशि अन्य श्रोतों से प्रस्तावित की गयी है अतएव इन बिन्दुओं को संज्ञान में लेते हुए कार्य परिषद कृपया विचार करना चाहें।	यथा अनुमोदित।
6	एन0आई0सी0 को प्रथम किश्त अवमुक्त कर दिये जाने का अनुमोदन।	एन0आई0सी0 को प्रथम किस्त धनराशि रू0–37.08 लाख अवमुक्त की गई है। कृपया अनुमोदन प्रदान करना चाहें।	एन0आई0सी0 की अवमुक्त की गई प्रथम किस्त धनराशि रू0–37.08 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया एवं कार्यपरिषद द्वारा यह निर्देशित किया गया कि एन0आई0सी0 शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ करा दे। यथा अनुमोदित।
7	मिशन निदेशक, उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष राज्य औद्यानिक मिशन को वित्तीय स्वीकृति का अधिकार प्रदत्त किये जाने पर अनुमोदन।	मिशन निदेशक, उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष राज्य औद्यानिक मिशन को वित्तीय स्वीकृति के अधिकार प्रदत्त किये जाने के सम्बन्ध में विचार करना चाहें।	मिशन निदेशक, उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष, राज्य औद्यानिक मिशन को वित्तीय स्वीकृतियों का वही अधिकार रहेगा जो शासन के शासनादेशों के अनुसार इन पदों पर आसीन इन अधिकारियों द्वारा धारित शासन के पदों हेतु निर्धारित है। अनुमोदित किया गया।

8	मिशन अर्न्तगत नये जनपद सम्मिलित किये जाने पर अनुमोदन।	राज्य औद्यानिक मिशन की प्रथम बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जनपद बुलंदशहर को मिशन में सम्मिलित किये जाने हेतु उपयुक्तता का परीक्षण करा लिया जाय, जिसके अनुपालन में बुलन्दशहर को मिशन में सम्मिलित किये जाने हेतु उपयुक्तता परीक्षण कराये जाने हेतु निदेशालय के पत्र संख्या–305/नियोजन/हार्टी0 मिशन, दिनांक 24–10–2005 द्वारा जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से अनुरोध किया गया था। इस क्रम में जिलाधिकारी बुलन्दशहर द्वारा जनपद को मिशन में सम्मिलित किये जाने हेतु धनराशि रू0–489.23 लाख की कार्ययोजना उपलब्ध करायी गयी है जिसे भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषण किये जाने पर सहमति प्रदान करना चाहें।	मिशन अर्न्तगत नये जनपद को सम्मिलित किये जाने हेतु प्राप्त बुलंदशहर के प्रस्ताव को भारत सरकार भेजने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
9	राज्य औद्यानिक मिशन के अर्न्तगत कार्यरत स्टाफ को मानदेय आदि दिये जाने पर अनुमोदन।	राज्य औद्यानिक मिशन के अर्न्तगत कार्यरत स्टाफ को यू0पी0 डास्प के पैटर्न पर मानदेय प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।	राज्य औद्यानिक मिशन के अर्न्तगत कार्यरत स्टाफ को मानदेय आदि दिये जाने पर कार्यपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अभी कार्य शुरू हुआ है प्रगति देखने के बाद विचार किया जायेगा।
10	राज्य औद्यानिक मिशन में संविदा पर कार्मिकों को रखे जाने पर अनुमोदन।	कार्यपरिषद की प्रथम बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार एजेण्डा बिन्दु संख्या–14 (घ) में मिशन का कार्य किसान सहायकों से कराये जाने हेतु लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अब तक किसान सहायकों की नियुक्ति न होने के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है। वार्षिक कार्य योजना में मिशन के अर्न्तगत निम्नानुसार कार्मिकों को संविदा पर रखा जाना स्वीकृत है– 1–विकास खण्ड स्तर पर मिशन सहायक(संख्या–208) 2–जनपद स्तर पर मिशन सहायक (संख्या–26) 3–मण्डल स्तर पर मिशन सहायक (संख्या–11) 4–मिशन निदेशालय स्तर पर मिशन सहायक (संख्या–5) (रू0–5200/माह प्रति मिशन सहायक) उक्तानुसार कार्मिको को संविदा पर रखे जाने का अनुमोदन प्रदान करना चाहें।	राज्य औद्यानिक मिशन में संविदा पर कार्मिकों को रखे जाने के सम्बंध में कार्यपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विकास खण्ड, जनपद एवं मण्डल स्तर पर मिशन सहायक के स्थान पर किसान सहायकों से कार्य कराये जाने के सम्बंध में प्रमुख सचिव (कृषि) एवं प्रमुख सचिव उद्यान अलग से बैठक कर विचार करें तथा मिशन निदेशालय स्तर पर 5 मिशन सहायकों को संविदा पर कार्य की आवश्यकता के अनुसार कृषि विविधीकरण परियोजना के पैर्टन पर रखे जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

11	मिशन प्रबन्धन के अर्न्तमत वाहन क्रय किये जाने हेतु अनुमोदन।	मिशन हेतु स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार मिशन प्रबन्धन के अर्न्तगत वाहन क्रय किये जाने पर विचार।	मिशन प्रबन्धन के अन्तर्गत वाहन क्रय किये जाने हेतु कार्यपरिषद द्वारा यह निर्देशित किया गया कि क्रय की जाने वाली गाड़ियों का विस्तृत प्रस्ताव उपलब्ध कराये और मिशन के कार्यों के संचालन के लिए किराये पर वाहन लिये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
12	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।	1–प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय अमरूद सिम्पोजियम में प्रतिभागी शुल्क व्यय धनराशि रू0–45000.00 का अनुमोदन। 2–गणतंत्र दिवस पर राज्य औद्यानिक मिशन के कार्यक्रमों का दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार पर हुए व्यय धनराशि रू0–145120.00 का अनुमोदन। 3–राज्य औद्यानिक मिशन की धनराशि "चालू खाते" से "मल्टी आप्सन डिपाजिट स्कीम के अन्तर्गत किये जाने पर विचार। 4–कार्यपरिषद की प्रथम बैठक के एजेण्डा बिन्दु संख्या–8 के अनुसार मिशन के वार्षिक लेखों तथा तुलन पत्र की समरीक्षा हेतु चार्टेड एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति हेतु कृषि विविधीकरण परियोजना गोमतीनगर से प्राप्त चार्टेड एकाउन्टेण्ट की नियुक्ति की प्रक्रिया पर अनुमोदन। 5–स्कैनर (1), सी0डी0 मल्टी प्लेयर (1), लैपटॉप (2) एवं डिजिटल कैमरा (2) के क्रय हेतु अनुमति। 6– भारत सरकार के पत्र दिनाँक 06 फरवरी, 2006 के	1–प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय अमरूद सिम्पोजियम में प्रतिभाग शुल्क व्यय धनराशि रू0–45000.00 यथा अनुमोदित। 2–गणतंत्र दिवस पर राज्य औद्यानिक मिशन के कार्यक्रमों का दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार पर हुये व्यय की धनराशि रू0–145120.00 यथा अनुमोदित। 3–राज्य औद्यानिक मिशन की धनराशि "चालू खाते" से "मल्टी आप्सन डिपाजिट स्कीम" के अन्तर्गत किये जाने हेतु कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। 4–कार्यपरिषद की प्रथम बैठक के एजेण्डा बिन्दु संख्या–8 के अनुसार मिशन के वार्षिक लेखों तथा तुलन पत्र की समरीक्षा हेतु चार्टेड एकाउटेन्ट की नियुक्ति हेतु कृषि विविधीकरण परियोजना में चार्टेड एकाउटेन्ट की नियुक्ति की प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। 5– स्कैनर (1), सी0डी0 मल्टी प्लेयर (1), लैपटॉप (2) एवं डिजिटल कैमरा (2) के क्रय हेतु पहले इन आइटमों का स्पेसीफिकेशन एन0आई0सी0 से अनुमोदित (वेट) कराकर आई0टी0 के शासनादेश के अनुसार क्रय की कार्यवाही किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

		निर्देशानुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि को सम्मिलित किये जाने पर अनुमोदन। 7–राज्य औद्यानिक मिशन कार्यपरिषद की द्वितीय बैठक दिनाँक 28–10–2005 के एजेण्डा बिन्दु संख्या–7 के अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि मिशन संचालन हेतु वेतनमान रू0 16400–20000 के वित्त नियंत्रक के पद के सृजन की कार्यवाही की जाये एवं शासन द्वारा वित्त अधिकारी की नियुक्ति होने तक अथवा तीन माह, जो पहले हो, समयावधि के लिए उद्यान विभाग में तैनात मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को मिशन कार्य देखने हेतु अधिकृत कर दिया जाय। इस क्रम में प्रस्ताव पत्र संख्या–1079, दिनाँक 19–12–2005 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है। भारत सरकार के पत्र स0–6–1/ 2005–हार्टी–iii (कोर्ड), दिनाँक 12–12– 2005 द्वारा निदेशक, राज्य औद्यानिक मिशन के वेतनमान से उच्च वेतनमान पर वित्त अधिकारी की नियुक्ति पर आपत्ति की गयी है। वित्त विभाग में इस स्तर के दो वेतनमान यथा–वित्त नियंत्रक (वेतनमान रू0 14300–18300) एवं मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी (वेतनमान रू0 12000–16500) हैं, इनमें से कार्यपरिषद किसी एक वेतनमान के वित्त अधिकारी की नियुक्ति हेतु अनुमोदन प्रदान करना चाहें, जब तक राज्य औद्यानिक मिशन के कार्यो के संचालन हेतु शासन द्वारा वित्त अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक उद्यान विभाग के मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी (वेतनमान रू012000–16500) को अधिकृत किये जाने पर समिति विचार करना चाहे।	6–भारत सरकार के पत्र दिनांक 6–2–2006 के निर्देशानुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि को कार्यपरिषद में सदस्य के रूप में सम्मिलित किये जाने पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। 7–निदेशक, राज्य औद्यानिक मिशन के वेतनमान से उच्च वेतनमान पर वित्त अधिकारी की नियुक्ति हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या–6–1/ 2005–हार्टी–III (कोर्ड), दिनांक 12–12–2005 द्वारा की गई आपत्ति पर कार्यपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मिशन के कार्यो हेतु वित्त नियंत्रक (वेतनमान रू0–14300–18300) की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित कर दिया जाये तथा जब तक शासन द्वारा वित्त नियंत्रक की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक उद्यान विभाग के मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को अग्रिम आदेशों तक मिशन के वित्तीय कार्य हेतु अधिकृत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। 8–परियोजना समन्वयक, यू0पी0 डारप द्वारा यह सुझाव दिया गया कि आर0एफ0आर0ए0सी0 (फ्रैक) संस्था एपीड़ा से रिकोगनाइज नहीं है, जिसके कारण जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण मान्य नहीं होगा जिसे रिकोगनाइज . कराये जाने की

				आवश्यकता है। कार्यपरिषद द्वारा एपीडा से फ्रैंक संस्था को रिकोगनाइज करा लिये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। 9–पुष्प उत्पादक कृषक कर्नल एस0एन0 रिंह द्वारा यह अवगत कराया गया कि टिशू कल्चर उत्पादित केले के पौधें महाराष्ट्र से लाने पर प्रतिपौधा अधिक धनराशि लगती है। कार्यपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बायोटेक फार्म लैब व उद्यान विभाग की टिशूकल्चर इकाई पर उनकी उत्पादन क्षमता का आंकलन कर लिया जाये और क्षमता के अनुरूप अधिक से अधिक टिशूकल्चर द्वारा केले पौधों का उत्पादन किया जाय साथ ही कर्नल रिंह ने यह भी अनुरोध किया की निजी क्षेत्र में टिशू कल्चर ईकाइ लगाये जाने के लिए प्राविधान कराया जाय एवं ग्रीन हाउस के निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध करायी जाये। जिससे एक्सा एगर के पौधों जो सस्ते होते हैं मंगाकर उनकी हार्डेनिंग की जा सके और पौधों के मूल्य में कमी की जा सके। कार्यपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बंध में मिशन से अनुदान उपलब्ध कराये जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध कर लें। 9.1–ग्रीन हाउस अर्न्तगत औद्यानिक फसलों की खेती करने हेतु प्रशिक्षण पर कृषकों को अन्य प्रदेशों में भेजा जाये। कार्यपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मिशन अर्न्तगत कृषकों को ग्रीन हाउस तकनीक से फसलों/पुष्प की खेती करने हेतु प्रशिक्षण एवं भ्रमण का आयोजन कराया जायें। यथा अनुमोदित।